न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

विविध प्रार्थना–पत्र (मुकदमा नम्बर) :– 89/2018 (RCMS No2018/00152)

उनवानी प्रकरण :–

1. मंजूदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण मंगल जाति बैश्य निवासी नारायण कॉलोनी एस.पी. कोठी के बगल धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. मिथलेश देवी पत्नी मुन्नालाल मोदी जाति वैश्य निवासी पुराना बाजार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3. नीलम गर्ग पत्नी संजय गर्ग जाति वैश्य निवासी धौलपुर रोड सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4. गिरीश कुमार गर्ग पुत्र दाताराम गर्ग जाति वैश्य निवासी सन्तर रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
5. शीलादेवी पत्नी गोपालदास जाति वैश्य निवासी जीवनी मण्डी आगरा यू. पी.
6. अमित पुत्र गोपालदास जाति वैश्य निवासी जीवनी मण्डी आगरा यू. पी.
7. पुष्पा त्यागी पत्नी मुकेश त्यागी जाति त्यागी निवासी न्यू कलेक्ट्रैट के सामने गुलावबाग धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
8. राजकुमार गर्ग पुत्र दाताराम गर्ग जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर
9. रामअवतार अग्रवाल पुत्र हरिशचन्द अग्रवाल जाति वैश्य निवासी खंरजा रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ———————— प्रार्थीगण ।

बनाम्

1. 330 मेगावाट धौलपुर साईकिल प्रोजेक्ट पुरानी छावनी विस्तार योजना पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर जरिये मुख्य अभियन्ता
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्डाधिकारी धौलपुर ———— अप्रार्थीगण।

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री हरिवीर सिहं अभिभाषक
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से :– श्री शरीफ खान अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से :– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 10/05/2019

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा क्रमांक:प.16 (2) ऊर्जा

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

/2010 जयपुर दिनांक 18.2.2010 के द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित 1984) निर्माण हेतु पुरानी छावनी तहसील धौलपुर के खसरा नम्बरान की अवाप्ति के लिय अधिसूचना जारी की गई उक्त अधिसूचना के द्वारा उपखण्डाधिकारी धौलपुर को भूमि अवाप्ति के लिये अधिकृत किया गया इस अधिसूचना जारी होने के पश्चात् धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार चस्पांदगी गजट तथा अखवारों में कमशः दिनांक 31.3.2010 को राजस्थान पत्रिका में 30.3.2010 को प्यारा तिरंगा में 7.6.2010 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराया गया तहसील के द्वारा अधिसूचना की चस्पादगी दिनांक 23.3.2010 को कराई गई इस प्रकार प्रकाशन की तिथि समाचार पत्र प्यारा तिरंगा में प्रकाशन की तिथि 7.6.2010 मानी गई धारा 4 की अधिसूचना जारी कर समस्त हितधारी काश्तकारों का 30 दिवस का समय आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिया गया उपरोक्त अधिसूचना पर कोई भी आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई अवाप्ताधीन भूमि की मौके की जॉच की जाकर दिनांक 4.11.2010 को धारा 5 (ए) के अन्तर्गत प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया गया । राज्य सरकार द्वारा धारा 5 (ए) के प्रतिवेदन पर विचार कर धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना कमांक:प.16(2)ऊर्जा/2010 जयपुर दिनांक 1.4.2011 को जारी की गई इस अधिसूचना में अवाप्त की जाने वाली भूमि के खातेदारान के नाम अकिंत नहीं होने एवं अवाप्ताधीन भूमि के रकवे में अन्तर होने के कारण संशोधित अधिसूचना कमांक:नप.16(2)ऊर्जा/2010 जयपुर दिनांक 13.10.2011 से जारी की गई उक्त अधिसूचना प्राप्त होने पर चस्पांदगी एवं अखवारों के माध्यम से कमशः दिनांक 21.11.11 को राजस्थान राजपत्र में 19.2.2012 को दैनिक भास्कर में एवं राजस्थान पत्रिका में 20.2.2012 को प्रकाशन कराया गया धारा 6 की अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त हितधारियों से आपत्तियाँ माँगी गई । राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक:प1(3)राज–6/11 जयपुर दिनांक 8.11.2011 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2011 लोकसभा में पेश कर दिये जाने के कारण राज्य में भूमि अवाप्ति कार्यवाही चालू रखी जावे परन्तु उसको भूमि के एवज में मुआवजा एवं अन्य भुगतान बिल के पास होने तक पैण्डिग रखा जावे। नगरीय विकास विभाग राजस्थान के परिपत्र कमांक:प.6(303)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 5.12.2011 के द्वारा छूट प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें 3 माह की अवधि में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की समयावधि समाप्त हो जायेगी उनमें मुआवजा एवं अन्य भुगतान की कार्यवाही जारी रखी जावे । उपरोक्त परिपत्र की पालना में इस अवाप्ति प्रकरण में अवधि समाप्ति होने के कारण मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी एवं हितधारियों की आपत्तियों को सुनने के पश्चात् दिनांक 6.9.2013 को अवार्ड पारित कर दिया गया । प्रार्थिया संख्या 1 खसरा नम्बरान 1078/39, 1079/39, 43, 44, 1082/50 एवं 52 बाकै ग्राम पुरानी छावनी की 2/5 भाग की खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से कमशः 7 बिस्वा, 11 बिस्वा, 11बिस्वा, 4 बिस्वा, 3 बिस्वा, एवं 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है, एवं खसरा नम्बर 41 में

प्रा/ग्रा
नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

से 1 बीघा 2 विस्वा अवाप्त की गई है। जिसमें प्रार्थिया संख्या-1 1020/2327 भाग की खातेदार है इसी अनुसार प्रार्थीगण 2 लगायत 6 खसरा नम्बर 1164/1067 रकबा 7 बीघा 12 विस्वा बाकै ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। धारा 4 की कार्यवाही दिनांक 7.6.2010 को की गई जिसे 6 वर्ष व्यतीत हो चुके है एवं अवार्ड दिनांक 06.09.2013 को जारी किया गया जिसे पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस अवधि में अवाप्त की गई भूमि का आज दिनाकं तक नातो भौतिक कब्जा लिया गया है ना हीं प्रार्थीगण एवं अन्य हितधारियों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। अवार्ड पारित होने में देरी भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 लोकसभा में पेश हो जाने के कारण उसके पारित होने के इन्तजार के कारण हुई लेकिन समय व्यतीत होने के कारण अवार्ड नये अधिनियम को पारित होने से पूर्व ही पारित कर दिया गया अवार्ड दिनांक 06.09.2013 को पारित किया गया है एवं नया एक्ट 26.09.2013 को पारित किया गया हैं। नये अधिनियम भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (1) के अनुसार अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन की कार्यवायों के ऐसे किसी मामले में-

(क) जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है वहाँ प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित इस अधिनियम के सभी उपबन्ध लागू होगें या

(ख) जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है वहाँ ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अर्जन के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम निर्शित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन कार्यवाहियों की दशा में जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णिय इस अधिनियम के आरम्भ के 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है वहाँ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ नये सिरे से आरम्भ होंगीं।

परन्तु जहाँ अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की वावत् प्रतिकर फायदाग्राहीयों के खाते में जमा नहीं किया गया है वहाँ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिये इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होगें।

अवार्ड दिनांक 06.09.2013 के मुताबिक जारी अवार्ड राशि अभी तक प्रार्थीगण एवं अन्य हितधारियों के खाते में जमा नहीं कराई गई है एवं ना ही उनकी अवाप्त की गई

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

है भूमि पर उर्जा विभाग द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है प्रार्थीगण अपनी भूमि को नातो कहीं दूसरी जगह बिक्रय कर पा रहें हैं एवं नाहीं उसमें फसल आदि कर पा रहें है। ना हीं अपना कारोबार कर पा रहें है ना हीं अपना मकान निर्माण कर पा रहें है प्रार्थीगण भारी परेशान है प्रार्थीगण को बहुत बड़ी हानि हो रही है चूंकि अधिनिर्णय को पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है इसलिए इस प्रकार यह अवाप्ति की कार्यवाही धारा 24 (2) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत समाप्त हो चुकी है इसलिए अवाप्ताधीन भूमि को अवाप्ति से प्रार्थीगण मुक्त करा पाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उजदारी पेश करें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री शरीफ खान अभिभाषक नें अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने नोटिस का जबाब प्रस्तुत कर मद संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार किये तथा मद संख्या 5 लगायत 9 में ऐतराज जताते हुए कथन किया कि सर्व प्रथम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मांगपत्र दिनांक 5.4.2014 को जारी किया गया उसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने कई बार यह प्रयास किया कि प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि को खाली करें परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अवाप्ति शुदा भूमि से ना तो अपना कब्जा हटाया गया और ना ही फसल को जोतने बोने से रोका गया एवं प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि से लगातार लाभ लेते आ रहे है तथा कई बार कहने के पश्चात् भी अवाप्त शुदा भूमि से अपना कब्जा नहीं हटा रहें है। उपरोक्त मामलें में अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र को न्यायालय को सुनने व समाअत करने का अधिकार नहीं हैं। अवाप्त शुदा भूमि की मुआवजा राशि 23501661/– तय की गई थी जिसे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अवार्ड का अनुमोदन होना आवश्यक था व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वास्ते अनुमोदन अवार्ड को ऊर्जा विभाग को भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये साथ ही तहसीलदार धौलपुर को अवार्ड की प्रति भेजकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत् लिखा परन्तु वह राजस्व रिकार्ड में अमल आज तक नहीं हुआ। धौलपुर कम्बाईण्ड साईकिल पॉवर प्रोजेक्ट पुरानी छावनी, धौलपुर के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा सदभावी रूप से जनहित के प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। अप्रार्थी द्वारा अवार्ड राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जा चुकी हैं तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)

अप्रार्थी संख्या 2 ने मूल पत्रावली भिजवाते हुए अपने पत्र क्रमांकः 625 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा अगवत कराया है कि 330 मेगावाट धौलपुर कम्बाइण्ड साईकल पॉवर प्रोजेक्ट पुरानी छावनी के निर्माण हेतु ग्राम पुरानी छावनी की 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई जिसका अवार्ड दिनांक 6.9.2013 को राशि 2,35,01,661/—रूपये का जारी किया गया था जिसका अनुमोदन ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से होने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता 330 मेगावाट धौलपुर कम्बाइण्ड साईकल पॉवर प्रोजेक्ट पुरानी छावनी धौलपुर को मुआवजा राशि भिजवाने हेतु पत्रांक 109 दिनांक 5.2.2014 लिया गया। इसके पश्चात् पत्रांक 675 दिनांक 15.9.2014 से मुआवजा राशि भिजवाने हेतु स्मरण पत्र भी जारी किया गया। मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हितधारियों को अभी तक मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया जा सकता हे और ना ही अवाप्त शुदा भूमि पर कब्जा लिया हैं।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति अवार्ड निर्णय दिनांक 06.09.2013 कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी धौलपुर पेश की, तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिया संख्या 1 खसरा नम्बरान 1078/39, 1079/39, 43, 44, 1082/50 एवं 52 वाके ग्राम पुरानी छावनी की 2/5 भाग की खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से क्रमशः 7 बिस्वा, 11 बिस्वा, 11 बिस्वा, 4 बिस्वा, 3 बिस्वा, एवं 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है, एवं खसरा नम्बर 41 में से 1 बीघा 2 बिस्वा अवाप्त की गई है। जिसमें प्रार्थिया संख्या—1 1020/2327 भाग की खातेदार है इसी अनुसार प्रार्थीगण 2 लगायत 6 खसरा नम्बर 1164/1067 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 की धारा 4 की कार्यवाही दिनांक 7.6.2010 को की गई जिसे 6 वर्ष व्यतीत हो चुके है एवं अवार्ड दिनांक 06.09.2013 को जारी किया गया जिसे पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस अवधि में अवाप्त की गई भूमि का आज दिनाकं तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ना तो भौतिक कब्जा लिया गया है ना हीं प्रार्थीगण एवं अन्य हितधारियों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। नये अधिनियम भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (1) के अनुसार अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में—

(क) जहॉं उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है वहॉं प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित इस अधिनियम के सभी उपबन्ध लागू होगें या

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

(ख) जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है वहाँ ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अर्जन के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा 1 में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन कार्यवाहियों के किसी मामले में जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ के 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया गया है किन्तु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है। या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है वहाँ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार यदि वह ऐसा चुनाव करें तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ नये सिरे से आरम्भ करेगी।

परन्तु जहाँ अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू–धृतियों की वावत् प्रतिकर हिताधिकारियों के खाते में जमा नहीं किया गया है वहाँ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी हितकारी उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिये इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होगें।

अवार्ड दिनांक 06.09.2013 के मुताबिक जारी अवार्ड राशि अभी तक प्रार्थीगण एवं अन्य हितधारियों के खाते में जमा नहीं कराई गई है एवं ना ही उनकी अवाप्त की गई है भूमि पर उर्जा विभाग द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है प्रार्थीगण अपनी भूमि को ना तो कहीं दूसरी जगह बिक्रय कर पा रहें हैं एवं ना हीं उसमें फसल आदि कर पा रहें है। ना हीं अपना कारोबार कर पा रहें है ना हीं अपना मकान निर्माण कर पा रहें है । प्रार्थीगण को बहुत बड़ी हानि हो रही है चूंकि अधिनिर्णय को पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है इसलिए इस प्रकार यह अवाप्ति की कार्यवाही धारा 24 (2) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत समाप्त हो चुकी है इसलिए अवाप्ताधीन भूमि को अवाप्ति से प्रार्थीगण मुक्त करा पाने का अधिकारी है। कब्जा प्राप्त करने एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया इस प्रकार दिनांक 6.9.2013 को किया गया अधिनिर्णय धारा 24(2) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत लैप्स(व्यपगत) हो गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 22.2.2019 को भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में राशि जमा कराया जाना बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनिर्णय दिनांक 6.9.2013 की कार्यवाही को व्यपगत (लैप्स) घोषित किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मांगपत्र दिनांक 5.4.2014 को जारी किया गया उसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने कई बार यह प्रयास किया

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

कि प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि को खाली करें परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अवाप्ति शुदा भूमि से ना तो अपना कब्जा हटाया गया और ना ही फसल को जोतने बोने से रोका गया एवं प्रार्थीगण अवाप्त शुदा भूमि से लगातार लाभ लेते आ रहे है तथा कई बार कहने के पश्चात् भी अवाप्त शुदा भूमि से अपना कब्जा नहीं हटा रहें है। उपरोक्त मामलें में अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र को न्यायालय को सुनने व समाअत करने का अधिकार नहीं है। अवाप्त शुदा भूमि की मुआवजा राशि 2,35,01,661/– तय की गई थी जिसे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अवार्ड का अनुमोदन होना आवश्यक था व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वास्ते अनुमोदन अवार्ड को ऊर्जा विभाग को भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये साथ ही तहसीलदार धौलपुर को अवार्ड की प्रति भेजकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत् लिखा परन्तु वह राजस्व रिकार्ड में अमल आज तक नहीं हुआ। धौलपुर कम्बाईण्ड साईकिल पॉवर प्रोजेक्ट पुरानी छावनी, धौलपुर के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा सदभावी रूप से जनहित के प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। अप्रार्थी द्वारा अवार्ड राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जा चुकी हैं तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता से अध्ययन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी धौलपुर) द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अवाप्त किया गया जिसका अवार्ड दिनांक 6.9.2013 को जारी किया गया । भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 की कार्यवाही दिनांक 7.6.2010 को की गई जिसे 6 वर्ष व्यतीत हो चुके है एवं अवार्ड दिनांक 06.09.2013 को जारी किया गया जिसे पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ।
2. यह तथ्य सही है कि प्रार्थना पत्र में अकिंत अवाप्त की गई भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ना तो भौतिक कब्जा लिया गया है ना हीं प्रार्थीगण एवं अन्य हितधारियों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त रिर्पोट क्रमांकः 625 दिनांक 28.12.2018 से होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अवाप्त शुदा भूमि की मुआवजा राशि दिनांक 22.2.2019 को जरिये चैक भूमि अवाप्ति अधिकारी धौलपुर को जमा कराई है। इससे यह स्पष्ट है कि राशि पॉच वर्ष से अधिक समय तक हितधारियों को प्राप्त नहीं हुई है।
3. भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के अनुसार पुराने अधिनियम (भूमि

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

अवाप्ति अधिनियम, 1894) के अन्तर्गत यदि भूमि अवाप्त की गई है तथा अवार्ड जारी हुये 5 वर्ष हो गये हैं परन्तु भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो अवाप्ति की कार्यवाही व्यपगत(लेप्स) हो जावेगी। इसी प्रकार यदि अवार्ड जारी नहीं हुआ है या अवार्ड का भुगतान नहीं किया गया है अथवा भूमि जिस उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई थी, उसका उस उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है, तो अवाप्ति की कार्यवाही व्यपगत(लेप्स) समझी जावेगी। 5 वर्ष की अवधि की गणना दिनांक 1.1.2014 से की जावेगी। समुचित सरकार यदि चाहे तो ऐसे प्रकरणों में अवाप्ति की कार्यवाही नये सिरे से नये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

अधिनियम 2013 की उक्त धारा से परिपेक्ष्य में प्रकरण में अवार्ड दिनांक 6.9.2013 को जारी किया गया है जिसे 5 वर्ष हो गये हैं किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। ना ही अवार्ड का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्बन्धित हितकारियों को किया गया है। भूमि जिस उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई थी उसका उस उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है। जहॉ तक 5 वर्ष की अवधि की गणना 1.1.2014 से करने का प्रश्न है तो प्रकरण में दिनांक 1.1.2019 को पॉच वर्ष पूर्ण हो चके हैं । दिनांक 1.1.2019 तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यवाही नहीं की है। अतः उक्त धारा में दिये गये प्रावधान प्रकरण में चस्पा होते हैं।

4. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मांगपत्र दिनांक 5.4.2014 को जारी किये जाने के पश्चात् कई बार भौतिक कब्जा करने का प्रयास किया किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति भूमि का कब्जा नहीं हैं सिद्ध नहीं होता इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये ।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पत्र क्रमांक 625 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि मुआवजा राशि जमा कराने हेतु दिनांक 5.2.2014 एवं 15.9.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 को लिखा गया किन्तु उनके द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं कराने के कारण हितधारियों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो सका। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.2.2019 को जरिये चैक 143744 से राशि 2,35,01,661/– रूपये जमा कराये हैं । जो पॉच वर्ष पश्चात् जमा कराये गये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण को सुनवाई हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी धौलपुर) को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी धौलपुर) को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) की

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

जाती है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि एवं न्यायिक सिद्वान्तों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी धौलपुर) की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर
जिला कलेक्टर धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)